संख्याः 819 /I/2005-06(1)/23/03

प्रेषक,

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग, देहरादूनः दिनांकः 19, फरवरी, 2005

विषयः– ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु AREP योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में REC से प्राप्त ऋण के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्याः (1561/04)556/नौ–3–ऊर्जा/आर0ई0सी0–ए0आर0ई0पी0/03, दिनांक 7–4–2004 एवं संख्या /I/2005-06(1)/23/03, दिनांक फरवरी, 2005 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2004–05 में निम्नांकित जनपदों को विद्युतीकरण किये जाने हेतु व्यय वहन के लिये अगली किश्त के रूप में श्री राज्यपाल महोदय रू0 9,94,25,000/– (रू0 नौ करोड़ चौरानबे लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो के अधीन रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त धनराशि के सम्बन्ध में REC से ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु विभिन्न योजना कोड संख्या के रूप में स्वीकृत कुल ऋण एवं तद्क्रम में अवमुक्त प्रथम अग्रिम किश्त के समय इंगित REC की सभी शर्तों के प्राविधानानुसार उपलब्ध करायी जा रही है। REC से प्राप्त ऋण के सम्बन्ध में राज्य शासन, UPCL (लाभार्थी) एवं REC के मध्य हस्ताक्षर किये गये अनुबन्ध एवं हाईपोथिकेशन अनुबन्ध की सभी शर्तो का पालन UPCL द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त धनराशि REC से स्वीकृत निम्नलिखित ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के सापेक्ष चिन्हित गांवों/तोकों के विद्युतीकरण एवं सम्बन्धित योजना में वर्णित विद्युतीकरण से सम्बन्धित कार्यों के व्यय वहन हेतु इस प्रकार किया जायेगा कि स्वीकृत योजना में उल्लिखित न्यूनतम समयावधि में विद्युतीकरण एवं वर्णित सभी कार्यों को शत प्रतिशत पूर्ण कर लिया जायेगा।

क0सं0	योजना कोड संख्या	कुल ऋण धनराशि (हजार रु0 में)	जनपद
1–	58000200	46534.4	उत्तरकाशी
3–	58000300	44610.9	चमोली
4–	58000400	3222.6	अल्मोड़ा
5–	58000700	5057.1	पिथौरागढ़
	योगः–	**99425.0**	

4. उक्त जनपदों में इस योजना के अन्तर्गत विद्युतीकरण हेतु चुने गये ग्रामों/तोकों की सूची तत्काल शासन, सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जायेगी तथा सम्बन्धित ग्राम के ग्राम प्रधान को भी सूचित किया जायेगा कि उनके किस गांव/तोक का विद्युतीकरण इस योजना के अधीन कब तक किये जाने का लक्ष्य है, वहां न्यूनतम कितने विद्युत संयोजन किस श्रेणी के दिये जाने हैं एवं क्या–क्या अन्य कार्य सम्मिलित है। सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी श्रेणीवार विद्युत संयोजन दिये जाने एवं किये जाने वाले कार्यों का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराया जाय।

5. उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रत्येक दशा में REC से सम्बन्धित योजनाओं के लिये ऋण स्वीकृति की सूचना सम्बन्धी REC के पत्रों के संलग्नक A व B (पूर्व में निर्गत शासनादेश के साथ संलग्न) में इंगित सभी शर्तों की शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित की जायेगी। इसमें त्रुटि की दशा में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 एवं उनके सम्बन्धित अधिकारियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

6. UPCL द्वारा योजना के अधीन विद्युतीकरण का कार्य समय से पूर्ण कर REC से तत्काल एवं समय से प्रतिपूर्ति दावा प्रस्तुत कर सम्पूर्ण योजना के लिये स्वीकृत ऋण के समतुल्य धनराशि की समय से प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जायेगी एवं जहां सम्बन्धित कार्यों को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी, उसे UPCL द्वारा अपने श्रोतों से वहन किया जायेगा।

7. ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण/योजना में वर्णित सुविधाओं के सृजन के पश्चात् सम्बन्धित ग्राम प्रधान से नियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर REC व शासन को प्रेषित किया जायेगा, जैसा कि योजना की शर्तों में वर्णित है। साथ ही विद्युतीकरण उपरान्त ग्रामों/तोकों की सूची समयान्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराई जायेगी, जो अपने स्तर से इसका सत्यापन कर सकेगें। जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा उक्तानुसार सत्यापन में पाई गई किसी त्रुटि या कमी तथा सत्यापन का विवरण UPCL एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उल्लेखनीय है कि सूची का प्रकाशन 20 सूत्रीय कार्यक्रम का अभिन्न अंग है तथा उसमें शिथिलता मान्य नहीं है।

8. REC द्वारा स्वीकृत योजना में सम्बन्धित ग्रामों/तोकों के विद्युतीकरण के साथ-साथ योजना में इंगित निर्धारित संख्या में विद्युत संयोजनों/भार की प्राप्ति, जैसा कि पूर्व निर्गत शासनादेश के संलग्नक में वर्णित है, भी अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

9. नियत अवधि मे कार्य पूर्ण न होने पर ब्याज की अतिरिक्त देयता की जिम्मेदारी UPCL/UPCL के सम्बन्धित अधिकारियों की होगी।

10. ऋण एवं ब्याज की समय से वापसी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा शासन को इस प्रकार सुनिश्चित की जायेगी कि शासन द्वारा ऋण एवं ब्याज की वापसी आर.ई.सी. को समय से की जा सके। मोरेटोरियम की अवधि में देय ब्याज का समय से भुगतान भी उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा शासन को उक्तानुसार सुनिश्चित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा भुगतान के विवरण साक्ष्य सहित शासन को यथासमय उपलब्ध कराये जायेगें और ब्याज की धनराशि संचित निधि में जमा कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा आर.ई.सी. का ब्याज वापस किया जायेगा।

11. नियत अवधि पर भुगतान/वापसी न करने पर 2.75 प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दण्ड के रूप में अतिरिक्त देय होगा तथा 6 माह से अधिक भुगतान/वापसी में चूक की दशा में योजना का विशेष स्वरूप समाप्त हो जायेगा, जिस दशा में ऋण पर सामान्य ब्याज (ऋण स्वीकृति के समय प्रचलित) लगेगा। अतः उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा प्रत्येक दशा में योजना का संपादन/क्रियान्वयन निर्धारित प्रक्रिया एवं शर्तों के अनुसार समय से करते हुये नियत तिथि तक किश्त व ब्याज की राशि प्रत्येक दशा में भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

12. योजना में इस किश्त आहरण के बाद यदि कोई अगला प्रतिपूर्ति दावा नियत अवधि में REC को प्रस्तुत नहीं किया जायेगा तो किश्त में अवमुक्त सम्पूर्ण ऋण की राशि को ब्याज/दण्ड ब्याज सहित REC को वापस किया जायेगा।

13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का निर्धारित समय में उपयोग कर उस धनराशि से योजनावार कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण राज्य सरकार को एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार व राज्य सरकार को उपलब्ध करा दिया जायेगा, ताकि आगामी किश्त प्राप्त होने में विलम्ब न हो।

14. उक्त स्वीकृत राशि पर आर०ई०सी० के पत्र सं० REC/FIN/LOAN/GoU/2004-05/07 दिनांक 31.01.2005 में धनराशि अवमुक्ति तिथि के अनुसार ब्याज की देयता 31 जनवरी, 2005 से आगणित होगी।

15. किश्तों एवं ब्याज की वापसी नियत तिथि से पूर्व अवश्य कर दिया जाय एवं इस हेतु नोटिस/सूचना का इन्तजार न किया जाय। धनराशि सीधे REC को भुगतान करते हुये शासन को सूचना ससमय दी जाय।

16. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण बीजक पर अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० के हस्ताक्षर एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षर उपरान्त कोषागार में प्रस्तुत कर किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004-05 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या -21 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 6801-बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज-05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपकर्मों व अन्य उपकमों में निवेश-आयोजनागत-04-उत्तरांचल पावर कारपोरेशन को ग्रामीण विद्युतीकरण हेतु आर०ई०सी० से ऋण-(0104 से स्थानान्तरित)-00-30-निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं०- 341/वि०अनु०-3/2004, दिनांक 15 फरवरी, 2005 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

/

(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्याः 81/1/2005-06(1)/23/03,तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उत्तरांचल ।
2- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मख्यमंत्री जी के संज्ञान मे लाने हेतु।
3- निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
4- जिलाधिकारी, देहरादून, अल्मोड़ा, चम्पावत, पिथौरागढ एवं टिहरी।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल, देहरादून।
7- सचिव, नियोजन विभाग।
8- वित्त अनुभाग-3
9- प्रभारी, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
10-गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(डा० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव